प्रेस नोट ***20/04/2025***

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 02 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 50 मामलों में से 10 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 20.04.2025 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 50 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 10 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 02 दंपति सुनीता/सुनील, मरियम/इश्तेयाख आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 06 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी। 02 मामलो में एफआईआर लिखा गया। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 04.05.2025 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिश, मौलवी अरशद, उ0नि0 मानसिंह, म0आ0 पुनम पाल उपस्थित रही।

3.05 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.04.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर करहां बाजार के पास से अभियुक्त रामनाथ पुत्र स्व0 रामलाल निवासी चकजाफरी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से अखबारी कागज के बनी 110 पुड़िया व एक थैले के चार टुकड़ों में जमावटी नाजायज गांजा बरामद जिसका कुल वजन लगभग 3 किलो 50 ग्राम बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुहम्मदाबाद में मु0अ0सं0 165/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण–

1. रामनाथ पुत्र स्व0 रामलाल निवासी चकजाफरी थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 3 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0सुरजीत सिंह मु0बाद थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
2. का0 निर्भय सिंह, थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
3. का0 अंशुमान शुक्ला, थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
4. का0 रविपाल थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
5. का0 बृजेश सिंह थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 19.04.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मऊ के पास से मु0अ0सं0 538/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त

अरविन्द राजभर पुत्र परदेशी राजभर निवासी भटौली कसारा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।